जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकःएफ-31(30)(1124)जविप्रा/सम/विधि/05/डी-/ 868

दिनांक-15/8/08

8

कार्यालय आदेश

मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा अपील सं. 1179/07 दिनांक 25.02.08 में यह अंकित किया गया है कि कतिपय प्रकरणों में जयपुर विकास प्राधिकरण में नियुक्त लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) में प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रथमतः तो निर्धारित 30 दिवस की अवधि में निस्तारण नहीं किया जाता एवं सूचना प्रदान करने की 30 दिवस की निर्धारित अवधि पश्चात् भी निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने के स्थान पर आवेदक से राशि मांगी जाती है। उक्त दोनों कृत्यों को मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) एवं 7(6) के प्रावधानों का खुला उल्लंघन माना है। इसी प्रकार मुख्य सूचना आयुक्त महोदय ने उल्लेख किया है कि अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील का विनिश्चय भी निर्धारित 30 दिवस की अवधि में अनिवार्यतः किया जाना चाहिए।

मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा उक्त निर्णय में यह भी अंकित किया है कि अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार लोक प्राधिकारी/लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि ऐसी सूचना जो उनकी पहुंच में नहीं है, आवेदन के उस भाग का अन्तरण आवेदन प्राप्ति के 5 दिवस में संबंधित लोक सूचना अधिकारी को कर दिया जाए और इस तथ्य से आवेदनकर्ता को भी संसूचित किया जाए जिससे वह आवेदन के उस भाग पर संबंधित लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त कर सके। मुख्य सूचना आयुक्त महोदय ने टिप्पणी की है कि इन समस्त तथ्यों की अधिकारियों की अनभिज्ञता वर्तमान अपील पर विचार करते समय और प्रत्यर्थी जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्य प्रकरणों के विवेचन करते समय परिलक्षित हुआ।

अतः समस्त लोक सूचना अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम आवेदन पत्र धारा 6(1) एवं प्रथम अपील धारा 19(1) के प्रावधानों के अनुसार त्वरित निस्तारण किया जावे। इस संबंध में लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के संबंध में किसी प्रकार की अनभिज्ञता अक्षम्य होगी एवं भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण सामने आने पर संबंधित लोक सूचना अधिकारी सीधे तौर पर उत्तरदायी होंगे। यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।

जयपुर विकास आयुक्त

(अ) प्रतिलिपि निजी सचिव मुख्य सूचना आयुक्त महोदय को अपील सं. 1179/07 की पालना में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

(ब) प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव जयपुर विकास आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।

(स) प्रतिलिपि समस्त लोक सूचना अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक (अभियांत्रिकी/वित्त/विधि/आयोजना/परियोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अति. आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
3. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
4. उपायुक्त (जोन-1 से 12), जविप्रा, जयपुर।
5. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
6. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
8. रक्षी पत्रावली।

सचिव

जविप्रा, जयपुर।